झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–306 वर्ष 2017

1. नौशाद अंसारी

2. तनवीर आलम .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची

2. पुलिस महानिदेशक, झारखंड पुलिस मुख्यालय, हटिया, रांची

3. अपर पुलिस महानिदेशक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, राजा रानी कोठी, डोरंडा, रांची

4. अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कांके रोड, कांके, रांची

5. पुलिस उप महानिरीक्षक, झारखंड सशस्त्र पुलिए, राजा रानी कोठी, डोरंडा, रांची

6. संयुक्त सचिव, गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, सचिवालय भवन, धुर्वा, रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्त्तागण के लिए :– श्री अमृतांशु वत्स, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री मोहन दुबे, एस0सी0–IV के ए0सी0

04/26.11.2019 याचिकाकर्त्तागण निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ इस माननीय न्यायालय के पास आए हैं :–

I. अधिसूचना संख्या 14/ए–9/16–3646/जे0ए0पी0–9/16–3646/ झारखंड सशस्त्र पुलिस–9 (अनुलग्नक–8 श्रृंखला) में निहित दिनांक 23.06.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए जिसके द्वारा एवं जिसके तहत विज्ञापन संख्या 01/2015 के अनुपालन में की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है।

II. इसके अलावा ज्ञाप संख्या 1262 और 1220 में निहित 06.07.2016 के समाप्ति पत्र को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है।

III. इसके अलावा, याचिकाकर्त्ताओं को सेवा में सभी परिणामी लाभ के साथ बहाल करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई है।

शुरूआत में ही, श्री अमृतांशु वत्स, याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 3976/2016 और अन्य सदृश मामले में इस न्यायालय की एक समन्वयक पीठ द्वारा पारित दिनांक 08.11.2019 के आदेश की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और निवेदन करते हैं कि इस रिट याचिका को डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 3976/2016 और अन्य सदृश मामले में पारित आदेश के संदर्भ में ही निपटाते हुए इन याचिकाकर्त्ताओं को भी इसी तरह का लाभ प्रदान किया जा सकता है क्योंकि यह मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं है।

हालांकि उत्तरदाताओं द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, लेकिन श्री मोहन दुबे, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत

करते हैं कि यह मामला, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 3976/2016 और अन्य सदृश मामले में इस न्यायालयद्वारा पारित आदेश द्वारा पूरी तरह से आच्छादित है। उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को काई आपत्ति नहीं है यदि इस रिट याचिका को उपरोक्त मामले के संदर्भ में निपटाया जाता है।

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निष्पक्ष प्रस्तुतियों के मद्देनजर और तथ्यों पर विचार करते हुए कि इसी तरह के मुद्दे को डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 3976/2016 और अन्य सदृश मामले में इस न्यायालय की एक समन्वयक पीठ द्वारा भी तय विस्तृत कारणों के साथ किया गया है और चूंकि यह रिट याचिका भी उक्त निर्णय द्वारा आच्छादित है, इसे भी उसी के संदर्भ में निपटाया जा रहा है।

न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर, याचिकाकर्त्ताओं के मामले पर विचार किया जाना चाहिए और ज्ञाप संख्या 1262 और 1220 में निहित दिनांक 06.07.2016 के आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त किया जाता है।

नतीजतन, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

((डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)